2048

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 2008 54130

Advocate

. 1 .

Teh. Sardhana (Meerut) विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालयः सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि परन्तु निम्न भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय की जा रही है अतः आवासीय निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 1
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 3000/—रुपये प्रति वर्ग मीटर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 11,12,280/— रूपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 9,30,000/—रूपये
6. ग्रामः जाटौली परगना दौराला
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) भूमि खसरा नम्बर 1591/1 व 1720/1 मि0.
8. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.0310 है0
10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं. विक्रित सम्पत्ति ... से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है)

बिजेन्द्र सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 2015

11. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि): लागू नहीं
12. सम्पत्ति की अवस्थितिः नगरीय क्षेत्र
13. पेड़ों का मूल्यांकनः लागू नहीं
14. बोरिंग/कुआं/अन्यः लागू नहीं
15. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग लागू नहीं
16. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित हैः नहीं.
17. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 77,910/-रुपये, संलग्न स्टाम्प अंकन 78,000/- रुपये

विवरण विक्रित भूमिः

भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 1591/1, (एक हजार पांच सौ इक्यानवे बटा एक) रकबा 0.0060 है0 (शून्य दशमलव शून्य शून्य छः शून्य हैक्टेयर) व 1720/1 मि0 (एक हजार सात सौ बीस बटा एक मिनजुमला) रकबा 0.0250 है0 (शून्य दशमलव शून्य दो पांच शून्य हैक्टेयर) कुल 2 दो नम्बर कुल रकबा

S. Bijendra Singh

(भाग 1)

([illegible])

क्रमांक 1४

[illegible] दिनांक

कर्ता या ग्राही का नाम

का प्रकार

की धनराशि

1—रजिस्ट्रेशन शुल्क

2—प्रतिलिपिकरण शुल्क

3—निरीक्षण या तलाशी शुल्क

4—मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण

5—कमीशन शुल्क

6—विविध

7—यात्रिक व्यय

1 से 6 तक का योग SUB

शुल्क वसूल करने का दिनांक

दिनांक, जब लेख प्रतिलिपि या ज्ञापन वापस करने के लिये तैयार होगा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 2018 8541[illegible]2

(मेरठ)

0.0310 हे0 शून्य दशमलव शून्य तीन एक शून्य हैक्टेयर स्थित ग्राम जादौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

- इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।
- विक्रित भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है।
- पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।
- विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

हम कि बिजेन्द्र पुत्र श्री बलजीत निवासी दौराला, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ विक्रेतागण/प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू 5000 Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23 FEB 2007 H 231743

एवं

मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15–यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21–बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0जी0 शर्मा निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली
क्रेता / द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित संक्रमणीय भूमिधरी के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उऋण है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 11,12,280/— रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 11,12,280/- ग्यारह लाख बारह हजार दो सौ अस्सी रूपये कि आधे जिसके अंकन 5,56,140/- पांच लाख छप्पन हजार एक सौ चालीस रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री

500Rs.

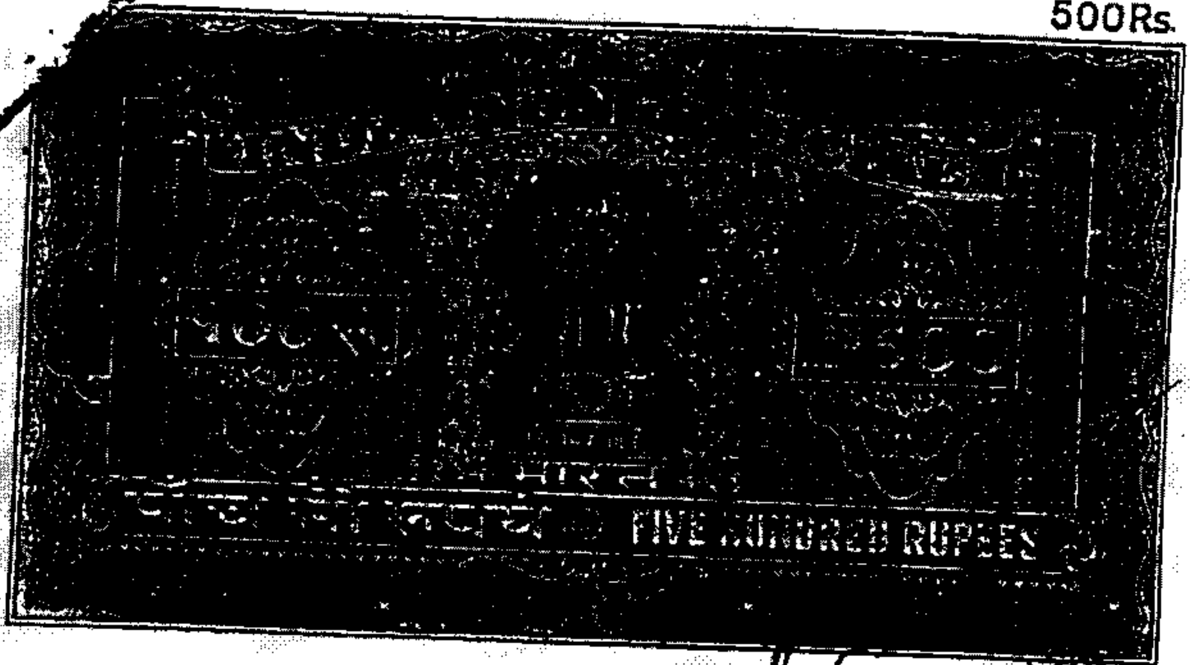

सी०बी० शर्मा निवासी निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य इसप्रकार कि अंकन 51,000/–रूपये नकद पेशगी तथा अंकन 10,61,280/–रूपये चैक नम्बर 281159 दिनांकित, 18.02.2010 एक्सिस बैंक शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि

500Rs.

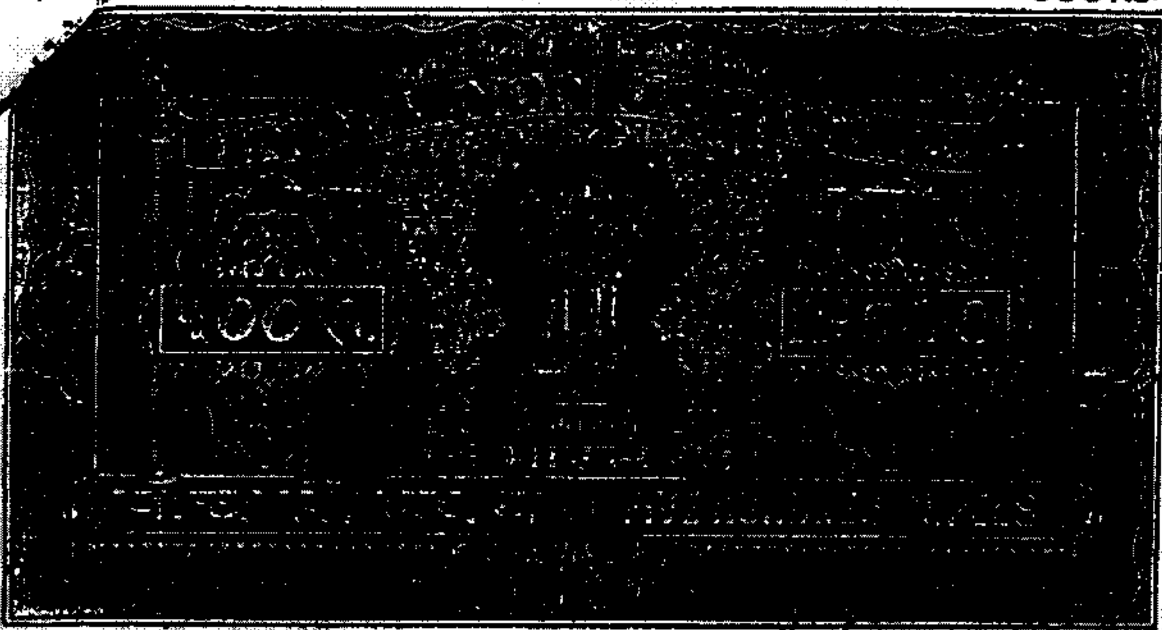

का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति. एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। अब विक्रेतागण का उक्त खसरा नम्बर में कोई अंश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर

500Rs.

कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

दिनांक 20.02.2010 (बीस फरवरी सन दो हजार दस ई0)
मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

PARDEEP KUMAR

MEERUT U.P.

क्र० 53 दा० 19.2.2010 500/-
का स्टाम्प छाप न० 53 द ......
प्रमोद मित्तल
स्टाम्प विक्रेता
तह० सरधना (मेरठ)

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री प्रदीप कुमार
पुत्र श्री फतेह सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 1/179 ब्रह्मपुरी .... मेरठ
व श्री संजीव कुमार
पुत्र श्री विजयपाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी ग्राम दौराला सरधना मेरठ
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार यादव)
उप निबन्धक सरधना

19.2.2010

500Rs.

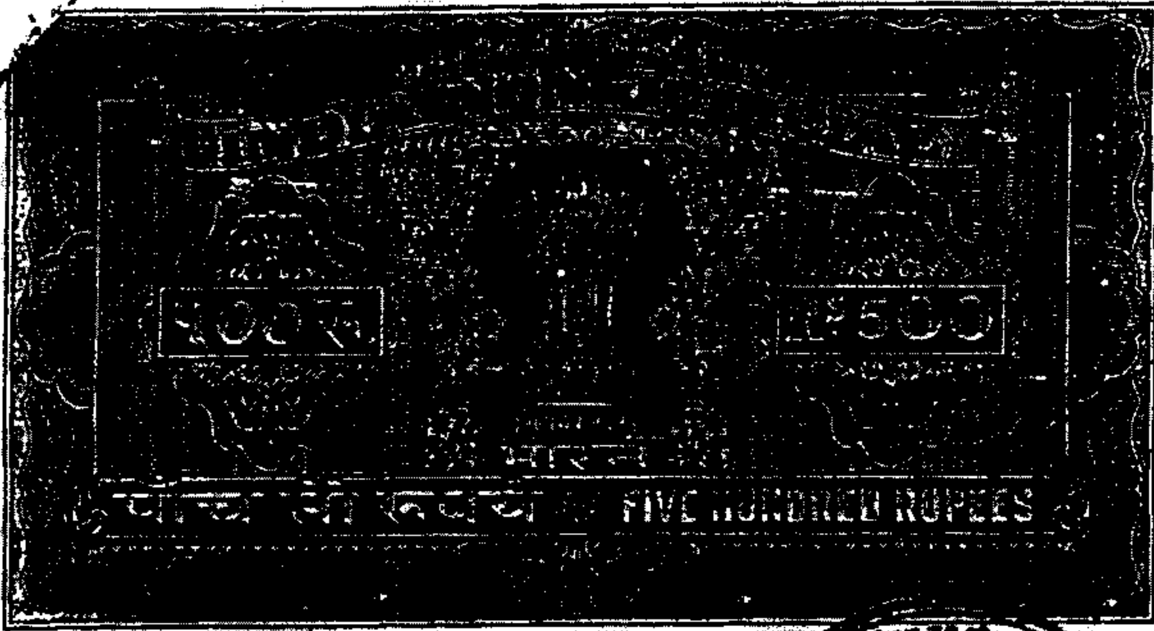

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - [illegible]

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

बांये हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

नं० 54 ता० 19-2-10 50 रु०
का स्टाम्प डाप नं० 50 ... ...
अभिषेक मिश्रा
स्टाम्प विक्रेता
तह० सरधना (मेरठ)

विक्रय पत्र

1,112,280.00	930,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री विजेन्द्र
पुत्र श्री सतजीत
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम दौराला सरधना मेरठ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/2/2010 समय 3.24PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार यादव)
उप निबंधक सरधना

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

20/2/2010

विक्रेता
श्री विजेन्द्र
पुत्र श्री सतजीत
पेशा कृषि
निवासी ग्राम दौराला सरधना मेरठ

क्रेता
श्री ... द्वारा अधि0
... शर्मा
पुत्र श्री सी0 डी0 शर्मा
पेशा नौकरी
निवासी गली नम्बर 2 ... कालोनी नई
दिल्ली

500Rs.

FIVE HUNDRED RUPEES

19 FEB 2010

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

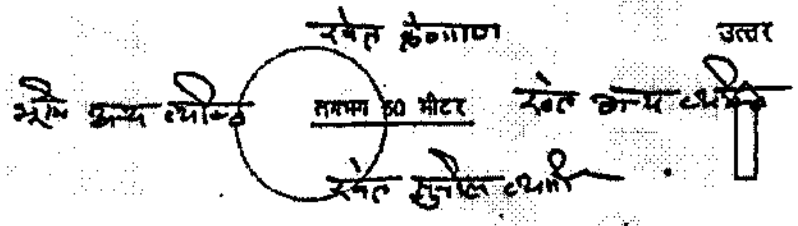

विक्रय की गयी भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण.

1. नाम सड़क —— x
2. आवासीय/वाणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक —— x
3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र —— x
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज —— x
5. गैस गोदाम/पैट्रोल पम्प/बस अड्डा —— x
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र —— x
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय —— x
8. अन्य —— x

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

क्र0 56 ता0 19-3-10 रु 500/-
का स्टाम्प साथ न0 570 मे शामिल किया
[illegible]
उपनिबन्धक
सद्र सरधना (मेरठ)

क्रेता

Registration No.: 2028 Year: 2,010 Book No.: 1

0201 मै0 ओमेक्स इ0 पूण्य कंस्ट्रक्शन लि0 द्वारा अधि0 राजेन्द्र शर्मा
[illegible] शर्मा
[illegible] नई दिल्ली
[illegible]

500Rs.

५०० रु ₹500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

19 FEB 20[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर
प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - M/s. Ansal Housing & Cons. Ltd. द्वारा अधिकृत [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के निशान

दायें हाथ के अंगुलियों के निशान

बिजेन्द्र सिंह

म॰ 55 ता॰ 19-3-10 ई॰ 500/-
का स्टाम्प शुल्क रु॰ 50 से ... किया
... लिया
स्टाम्प (...)
... बस्ती (...)

विक्रेता

Registration No.: 2028 Year: 2,010 Book No.: 1

0101 विजेन्द्र
[illegible]
[illegible]
कृषि

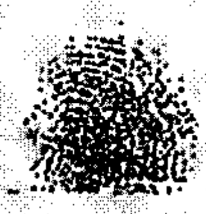

क्र० 58 ता० 17-2-10 रु० 500/-
का स्टाम्प सांव नं० 50 ...
[illegible]
स्टाम्प वेन्डर
तह० सरधना (मेरठ)

आज दिनांक 20/02/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 2628

पृष्ठ सं 79 से 102 पर क्रमांक 2028

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार यादव)

उप निबन्धक सरधना

[illegible]